



# भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय, शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Phone: 2661263,2737446 Fax: 2737446 Website:www.bsgmp.net E\_mail:bsgmadyapradesh@gmail.com

क्र० / २०१ / रा०मु० / साज-सज्जा / 2018  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11.4.18

सहायक राज्य संगठनायुक्त (स्का./गा.)  
भारत स्काउट / गाइड म.प्र.  
संभागीय कार्यालय .....म.प्र.

विषय :- दिनांक 31.03.2018 की स्थिति में स्काउट एवं गाइड सामग्री की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भेजने बाबत स्मरण-पत्र।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 5630 दिनांक 13.03.2018 के अनुक्रम में ।

—000—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे जिसमें आपको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि संभाग के अंतर्गत जिलों में संचालित स्काउट शाप का भौतिक सत्यापन कर अनिवार्य रूप से समीक्षा बैठक में साथ लावें किन्तु आपके द्वारा संभागीय कार्यालय एवं जिलों की स्काउट शाप का भौतिक सत्यापन की सूची नहीं भेजी गई है यह वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अट्टेनलना का प्रतीक है।

अतः आपको अंतिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि आपके संभाग की स्काउट शाप एवं जिलों में संचालित स्काउट शाप का भौतिक सत्यापन कर दिनांक 20.04.2018 तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें, कृपया समय-सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे भौतिक सत्यापन में इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि यदि जिला संगठक द्वारा बताया जाता है कि संस्थाओं को सामग्री दी गई जिसकी राशि प्राप्त नहीं हुई ओर वह सामग्री भौतिक सत्यापन में जुडवाना चाहते है तो संबंधित डी.ओ.सी. से जिस शाला को सामग्री दी गई है का नाम राशि वह संस्था का मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में संलग्न करें यदि आपके द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन में स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती है और जो भेजी गई सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर इस कार्यालय द्वारा कराए गए सत्यापन में भिन्नता पाई जाती है तो उसकी जबाबदारी आपकी होगी एवं कमी की राशि की वसूली आपसे की जावेगी इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि जिले में संचालित स्काउट शाप का विधिवत भौतिक सत्यापन किया जाकर वांछित जानकारी के साथ दिनांक 20.04.2018 तक अनिवार्य रूप से भेजी जावे।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड,म.प्र.

भोपाल, दिनांक 11.4.18

पृष्ठा.क. / २०१ / रा.मु. / साज-सज्जा / 2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिला संगठनायुक्त (स्का./गा.) जिला..... की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त अनुसार समय-सीमा में संभाग के ए.एस.ओ.सी. से भौतिक सत्यापन कराकर अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भेजी जावे यदि समय-सीमा में प्राप्त नहीं होती है तो आपके माह अप्रैल का वेतन रोक दिया जावेगा जिसमें आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड, म.प्र.